श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर पीठ रीवा संभाग रीवा

श्री प्रदीप प्रजापति एड. / 2.12.13

नि0 4447-III-13

1-लक्ष्मण प्रसाद तनयश्री राजकरण पटेल सा0 पड़रिया तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0 प्र0

2- आनन्द बहादुर तनय श्री राजकरण पटेल सा0 पडरियाँ तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0 प्र0

3923 क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 (सर्किट कोर्ट)

3-राजकरण पटेल तनयश्री काशीनाथ पटेल सा0 पड़रिया तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0 प्र0

----आवेदक / रेस्पा0

9/12/13

बनाम

1-शिवदयाल पटेल तनय श्री काशीनाथपटेल
2-मोतीलाल पिता श्री रामसुमिरन कुर्मी
3-हीरालाल पिता श्री रामसुमिरन कुर्मी
4- पारषनाथ पिता श्री श्यामलाल कुर्मी,
5-नन्दलाल पिता श्री श्यामलाल कुर्मी
6- कमलेश पिता श्री बिद्यार्थी प्रसाद
7- रामसुमिरन पिता श्री मथुरा प्रसाद
8- श्यामलाल पिता श्री सुदामा कुर्मी
9-श्यामसुन्दर पिता श्री सुदामा कुर्मी
10- बिद्यार्थी प्रसाद पिता श्री रामदुलारे कुर्मी

897 / 2-12-13

उक्त निवासी ग्राम पड़रिया तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0 प्र0

----अनावेदक / अपीलान्ट

निगरानी बिरूद्ध आदेश श्री अनुबिभागीय अधिकारी प्रभारी तहसील रायपुर कर्चु0 रा0 प्रकरण क0 28अ27/ 08-09 आदेश दिनांक 04/10/13 मुताविक धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सहिता सन1959ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है।

1-यह कि अधी0 न्यायालय की आज्ञा बिधि एवं प्रकिया के बिरूद्ध है।

2- यह कि अधी0 न्यायालय के समक्ष आराजियात जिनके सह खातेदार आवेदक गण व अनावेदक गण दर्ज थे, जिनके बीच खाता बिभाजन का प्रकरण कई सह खातेदारो ने मिलकर प्रस्तुत किया था, तथा आवेदक गण को अनावेदक बनाया गया था, चूकि जिन भूमियो का बटनवारा चाहा गया था, उन भूमियो में सह खातेदार अनावेदक क0 1 दर्ज नही था, इसलिये उसे आवेदक व अनावेदक गण के

राजकरण

(8)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–4447-III / 13 जिला–.रीवा

लक्ष्मण प्रसाद / शिवदयाल पटेल वगैरः

(1)	(2)	(3)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री हीरालाल पटेल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 28 / अ–27 / अपील / 2008–09 में पारित आदेश दिनांक 04.10.13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 17.01.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	